राजस्थान सरकार

कार्यालय संभागीय आयुक्त एवं पदेन आयुक्त, क्षेत्रीय विकास, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर।

क्रमांकः– प017(3955) आक्षेवि/रेगु/2016/ 277

दिनांक : 15 मई, .2016

मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन (उत्तर) हनुमानगढ जं0।	मुख्य अभियन्ता, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, जैसलमेर।	अति0 मुख्य अभियन्ता सत. एवं रेगुलेशन, इंगानप, बीकानेर।

विषयः– इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में दिनांक 13.5.16 प्रातः 6.00 बजे से 31.5.16 प्रातः 6.00 बजे तक पीने हेतु पानी चलाने का कार्यक्रम।

प्रसंगः– मु.अ. जल संसाधन (उत्तर) हनुमानगढ़ का पत्रांक एफ4/रेगु/14–बी/सीएचडी/788 दिनांक 13.5.16.

महोदय,

प्रासंगिक पत्र द्वारा इन्दिरा गांधी नहर प्रणाली के लिए अनिवार्य आवश्यकता एवं पीने के पानी के मु.अ. जल संसाधन (उत्तर) हनुमानगढ़ द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को मुख्य अभियन्ता, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर एवं अति. मुख्य अभियन्ता, इंगानप, जैसलमेर से प्राप्त सहमति के आधार पर एतद् द्वारा अनुमोदित किया जाता है ।

दिनांक 13.5.16 प्रातः 6.00 बजे से दिनांक 17.5.16 प्रातः 6.00 बजे तक अनिवार्य आवश्यकता की आपूर्ति के पश्चात शेष उपलब्ध पानी को मुख्य नहर के पौण्ड को मैन्टेन करने हेतु उपयोग में लिया जायेगा। दिनांक 17.5.16 प्रातः 6.00 बजे से 31.5.16 प्रातः 6.00 बजे तक अनिवार्य आवश्यकता एवं लौसेज के उपरान्त शेष उपलब्ध पानी को निम्न प्रकार से चलाया जायेगाः–

(i). दिनांक 17.05.16 प्रातः 6.00 बजे से 23.5.16 प्रातः 6.00 बजे तक इन्दिरा गांधी मुख्य नहर की बुर्जी–620 तक की नहरों के लिए (06 दिन)

(ii). दिनांक 23.5.16 प्रातः 6.00 बजे से 27.5.16 प्रातः 6.00 बजे तक इन्दिरा गांधी मुख्य नहर की बुर्जी 620 से 1254 तक नहरों के लिए (04 दिन)

(iii). दिनांक 27.5.16 प्रातः 6.00 बजे से 31.5.16 प्रातः 6.00 बजे तक इन्दिरा गांधी मुख्य नहर की बुर्जी 1254 से टेल तक नहरों के लिए (04 दिन)

उक्त रोटेशनके अनुसार नहरों में दिये जाने वाले पानी का उपयोग केवल पीने के लिए है। जलप्रदाय विभाग तथा चक आबादियों में स्थित पीने के पानी के भंडारण हेतु समस्त डिग्गियों को भरे जाने बाबत समस्त अधीनस्थ अधिकारी/कार्मिक उत्तरदायी होंगे। संबंधित जिला कलक्टर भी इस हेतु आवश्यक पर्यवेक्षण एवं निगरानी कर सकेगें।

संबंधित मुख्य अभियन्तागण अनुमोदित कार्यक्रम के अनुरुप अपनी अपनी नहरों का संचालन करेंगे एवं अपने जोन हेतु पीने का पानी चलाये जाने का कार्यक्रम अपने स्तर पर जारी करेंगे। जारी किये जाने वाले कार्यक्रम की जानकारी संबंधित जिला कलक्टर को एवं स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाकर जन साधारण की जानकारी हेतु व्यापक प्रचार प्रसार करवाना सुनिश्चित करेंगें।

अनिवार्य आवश्यकता का विवरण निम्न प्रकार हैः–

क्रसं	नहरें	मात्रा क्यूसेक्स में
1	रावतसर शाखा के माध्यम से पीने का पानी	55
2	सूरतगढ ताप बिजलीघर के लिए	75
3	साहवा जलोत्थान नहर	58.46
4 – I	कंवरसेन जलोत्थान नहर	148
II	सूरसागर झील बीकानेर शहर में भण्डारण हेतु	02
5	पीने का पानी शोभासर जलाशय	76
6	बरसिंहसर थर्मल पावर प्रोजेक्ट	25
7	नागौर लिफ्ट के माध्यम से पीने का पानी	30
8	मैसर्स बी.एस. लिगनाईट पावर प्रो. प्राई. लि. गुड्डा	05
9	जोधपुर लिफ्ट केनाल परियोजना	195

10	सोलर पावर प्रोजेक्ट मै. गोदावरी ग्रीन एनर्जी लि0	1.60
11	पोकरण फलसूण्ड पेयजल योजना	30
12	रामगढ गेस विद्युत परियोजना	25
13	जेसलमेर शहर के लिए पेयजल	30
14	जेसलमेर संभाग के ग्रामीण क्षेत्र हेतु पेयजल	70
15	गिराल परियोजना	24
16	राजवेस्ट पावर प्रोजेक्ट	40
17	बाड़मेर लिफ्ट परियोजना	16
	योगः–	906.06

वर्तमान में प्रभावी कार्यक्रम अनुरूप बाड़मेर लिफ्ट में पीने के पानी हेतु अस्थायी स्वीकृत अतिरिक्त 40 क्यूसेक पानी जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की मांग अनुरूप उक्त सीमा तक यथावत देय होगा।

भवदीय,

संभागीय आयुक्त एवं पदेन आयुक्त,
क्षेत्रीय विकास, इंगांनप,
बीकानेर।

क्रमांकः– प017(3955) आक्षेवि/रेगु/2014/ 278 दिनांक : 14 मई, 2016

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :– (उक्त कार्यक्रम ई–मेल द्वारा प्रस्तुत/प्रेषित हैं एवं विभागीय वेबसाईट www.cad.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध है)

1. प्र शासन सचिव (मुख्य मंत्री) मुख्य मंत्री कार्यालय राजस्थान, जयपुर।
2. शासन सचिव, जल संसाधन, राज0 जयपुर।
3. शासन सचिव, सीएडी एवं जल उप0 विभाग, राज, जयपुर।
4. अध्यक्ष, इन्दिरा गांधी नहर मण्डल, जयपुर।
5. संभागीय आयुक्त, बीकानेर /जोधपुर।
6. जिला कलेक्टर,,बीकानेर/श्रीगंगानगर/ जैसलमेर/ हनुमानगढ/चुरू/ जोधपुर/नागौर/बाड़मेर।
7. मुख्य अभियन्ता, परियोजना, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जोधपुर।
8. अति0 मुख्य अभियन्ता, परियोजना–II, जन स्वा0 अभि0 विभाग, जोधपुर।
9.. अति0 मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभि0 विभाग, बीकानेर।
10. अति0 मुख्य अभियन्ता, परियोजना, जन स्वास्थ्य अभि0 विभाग, चूरू।
11. अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभि विभाग, नागौर लिफ्ट, परियोजना वृत, नागौर।
12. अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभि विभाग, बाड़मेर लिफ्ट परियोजना वृत, बाड़मेर।
13. संयुक्त निदेशक कृषि, बीकानेर/श्रीगंगानगर।
14. उप निदेशक, कृषि एवं भू–सर्वेक्षण, बीकानेर।
15. उप निदेशक कृषि विस्तार, सीएडी, इंगांनप, बीकानेरं।
16. जन संपर्क अधिकारी, बीकानेर/श्रीगंगानगर/हनुमानगढ़/चूरू/जैसलमेर को भेजनकर लेख है कि उपरोक्त कार्यक्रम का प्रमुख समाचार पत्रों में जन साधारण की जानकारी हेतु जनहित में प्रकाशित करवाकर समुचित प्रचार प्रसार करावें।
17. निजी सचिव कृते आयुक्त क्षेत्रीय विकास, इंगांनप, बीकानेर।

संभागीय आयुक्त एवं पदेन आयुक्त,
क्षेत्रीय विकास, इंगांनप,
बीकानेर।